

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सपोर्य
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) कैम्प भरतपुर

क्र.सं. 26/17

:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी भरतपुर व भू.अ.नि. सपोर्य की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सपोर्य / नायब तहसीलदार _____ की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम भरतपुर तहसील सपोर्य व जिला करोली की जमाबन्दी सम्बन्ध 2071-74 में खाता संख्या 62,316,556,557,558 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र०स०	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	भरतपुर	62,316,556, 557, 558	ब्रह्मभानसिंह पुत्र कुलभानसिंह रूपकंपर बेवा कुलभानसिंह लोभागकंपर बेवा चन्द्रभानसिंह कौशिक राजपुर	ब्रह्मभानसिंह पुत्र कुलभानसिंह, रूपकंपर बेवा कुलभानसिंह, श्यामकंपर बेवा-चन्द्र- भानसिंह जाति राजपुर

Riy
पीठासीन अधिकारी (SDM)
राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"
सपोर्य, जिला-करोली (राज०)
पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर,
दिनांक:- 19/5/17

क्रमांक:- सपोर्य/2017/50-52
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सपोर्य को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री श्यामकंपर बेवा-चन्द्रभानसिंह जाति को सूचनार्थ
3. रक्षित पत्रावली। राजपुर वि० भरतपुर

Riy
पीठासीन अधिकारी (SDM)
राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"
सपोर्य, जिला-करोली (राज०)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर,

श्रीमानगी

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

आवेदन के आधार कार्ड व पहचान पत्र में श्यामक नाम दर्ज है जो सही श्यामक पर विरासत स्व. चन्द्रनाथ सिंह अन्य कोई दूसरी महिला नहीं है। जबकि राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज ही अतः सोभागकपर के स्थान पर श्यामक पर नाम जाना उचित है।
विरासत नाम सं. 1045 व सोभागकपर दर्ज है।

OK
19.5.17

12/5/17
प.ह.
न.स.प.

19.05.17

रिपोर्ट तहसीलदार/चमख तहसीलदार

श्रीमानगी,

रिपोर्ट भू.अ.नि. वृत्त इनाली, प.ह. भरतूर के अनुसार विरासत के नाम सं. 1045 द्वारा श्यामक पर के स्थान पर सोभागकपर दर्ज हो गया जबकि आधार कार्ड व पहचान पत्र के अनुसार इन्का सही नाम श्यामक पर पाकि स्थ. चन्द्रनाथ सिंह दिया जाना उचित है।

तहसीलदार (भू.अ.नि.)
सपोटरा जिला-करीली

आदेश

रिपोर्ट पटवारी, ड.र. तहसीलदार लपोर, जन्तु व के आधार पर राजस्व लकीर दि. जा रहा है। इसके अन्तर्गत आती है। पतापती के लाल शुभादीक नकल देकर है।

पीठासीन अधिकारी (SDM)
राजस्व लोक अदालत च्याम आपके द्वार
सपोटरा, जिला-करीली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी